

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 135/2024 GCMS 2024/251

वादीगण :-

1. नरेंद्र भुगासरा पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट
2. निर्मला बुगालिया पुत्री नंदाराम जाट निवासियान नियर कुचामन कॉलेज, स्थान कृष्णा विहार, शहर कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राज.
3. मदनलाल पुत्र हनुमानराम जाति कुमावत निवासी प्रतापनगर कुचामन कॉलेज कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राज.

प्रतिवादीगण :-

1. इन्द्रा देवी पत्नि चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. दिनेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
3. मुकेश पुत्र चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
4. महेश पुत्र चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
5. निरमा पुत्री चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
6. सुमित्रा पुत्री चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
7. टोडरमल पुत्र जोधाराम जाति कुमावत
8. गौरी शंकर पुत्र जोधाराम जाति कुमावत
9. पप्पुलाल पुत्र जोधाराम जाति कुमावत
10. मुन्नीलाल पुत्र भीवाराम जाति कुम्हार
11. मोतीलाल पुत्र भीवाराम जाति कुम्हार
12. केशरी देवी पत्नि भीवाराम जाति कुम्हार
13. नरसीलाल पुत्र मुन्नाराम जाति कुम्हार
14. प्रभूराम पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
15. रतनलाल पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
16. श्रवणलाल पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
17. सुरेश पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
18. सोनकी देवी पत्नि पांचुराम जाति कुम्हार नि. कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
19. राधादेवी पत्नि परमेश्वर जाति जाट निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
20. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा- बाबत इस्तकरार हक, रेकॉर्ड दुरुस्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा भू-विभाजन

अन्तर्गत धारा 88 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 7 से 9 की ओर से।

श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता प्रति. सं. 13 की ओर से।




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

-: निर्णय :-


दिनांक :- 01/01/2025

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/2613 दिनांक 22.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.12.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस पर एवं वाद पत्र में दिनांक 16.12.2024 को जारी प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान/खातेदारान व पड़ोसियों ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 13 का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 404 रकबा 3.98 हैक्टर मे से 0.4854 हैक्टर पर वादीगण का 1/3- 1/3 बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है तथा $0.60+0.38=0.98$ हैक्टर प्रतिवादी सं. 13 नरसीलाल के कब्जे काश्त में है शेष भूमि पर अन्य प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। पक्षकारान मौके पर नजरी




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नक्शा अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 404 रकबा 3.98 हैक्टर में से 0.4854 हैक्टर पर वादीगण को 1/3- 1/3 बहिस्सा बराबर है तथा $0.60+0.38=0.98$ हैक्टर में प्रतिवादी सं. 13 नरसीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा भूमि में प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन विवरण अनुसार प्रतिवादीगण का हक हिस्सा रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.12.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार, B.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (जिंदवा ना- कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बइजलास : श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 135/2024 GCMS 2024/251

वादीगण :-

1. नरेंद्र भुगासरा पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट
2. निर्मला बुगालिया पुत्री नंदाराम जाट निवासियान नियर कुचामन कॉलेज, स्थान कृष्णा विहार, शहर कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राज.
3. मदनलाल पुत्र हनुमानराम जाति कुमावत निवासी प्रतापनगर कुचामन कॉलेज कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राज.

प्रतिवादीगण :-

1. इंद्रा देवी पत्नि चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
 2. दिनेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
 3. मुकेश पुत्र चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
 4. महेश पुत्र चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
 5. निरमा पुत्री चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
 6. सुमित्रा पुत्री चिरंजीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
 7. टोडरमल पुत्र जोधाराम जाति कुमावत
 8. गौरी शंकर पुत्र जोधाराम जाति कुमावत
 9. पप्पुलाल पुत्र जोधाराम जाति कुमावत
 10. मुन्नीलाल पुत्र भीवाराम जाति कुम्हार
 11. मोतीलाल पुत्र भीवाराम जाति कुम्हार
 12. केशरी देवी पत्नि भीवाराम जाति कुम्हार
 13. नरसीलाल पुत्र मुन्नाराम जाति कुम्हार
 14. प्रभुराम पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
 15. रतनलाल पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
 16. श्रवणलाल पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
 17. सुरेश पुत्र पांचुराम जाति कुम्हार
 18. सोनकी देवी पत्नि पांचुराम जाति कुम्हार नि. कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
 19. राधादेवी पत्नि परमेश्वर जाति जाट निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
 20. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी
- दावा- बाबत इस्तकरार हक, रेकॉर्ड दुरुस्ति खातेदारी अधिकारो की घोषणा भू-विभाजन अन्तर्गत धारा 88
53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी.....
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री राजेश गुर्जर एवं श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल
कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 404 रकबा 3.98 हैक्टर मे से 0.4854 हैक्टर पर
वादीगण को 1/3- 1/3 बहिस्सा बराबर है तथा 0.60+0.38=0.98 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 13 नरसीलाल
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष रकबा भूमि में प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन विवरण
अनुसार प्रतिवादीगण का हक हिस्सा रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दिनांक 17.12.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो।
स्टाम्प पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने
इतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज मुबलिंग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01 माह 01 सन् 2025 को जारी
की गई।

(मुहर)

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना-कुचामन) राज.
क्रमांक/कोर्ट/2024/02 दिनांक:-

प्रेषित :- तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व वाद सं. 135/2024 GCMS 2024/251 नरेंद्र भुगासरा बनाम इंद्रादेवी वगैरह
में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के 135/2024 GCMS
2024/251 नरेंद्र भुगासरा बनाम इंद्रादेवी वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना
बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते
हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)